

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

पत्रांक :- 497 सीएसी / 13-432सीएसी / 95-ii

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

सेवा में,

- 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक।
- 2- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)।
- 4- समस्त सम्परीक्षा अधिकारी।
- 5- समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय-परिवहन निगम की टेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-464सीएसी / 13-294सीएसी / 90 दिनांक 17.04.2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। जिसके द्वारा निगम बसों की किराया दरों में वृद्धि करते हुए साधारण सेवा की बसें हेतु 78 पैसे प्रतियात्री प्रतिकिमी० निर्धारित कर पुनरीक्षित किराया वसूल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तदनुसार साधारण टेका गाड़ियों (चार्टर्ड) की दरों को संशोधित कर रू० 34.30 प्रतिकिमी० निर्धारित किया गया है। इस संबंध में शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार किराया दरों को संशोधित कर नियमानुसार लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०)

पत्रांक:- समसंख्यक एवं समदिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक / निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक / निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
- 2- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय।
- 3- समस्त प्रधान प्रबन्धक / प्रबन्धक / सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 4- सम्परीक्षा अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।



(राजेश वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचा०)